Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 GISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

# महिला उद्यमिता विकास में बैंकों की भूमिका : एक अध्ययन

**दीपक कुमार राणा**

**सहायक प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र ,टी.पी. कॉलेज,मधेपुरा**

**Article Info**

Volume 4 Issue 3

Page Number : 98-105

**Publication Issue :**

May-June-2021

**Article History**

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

**शोध सारांश -** वर्तमान समय में भारत में आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से आर्थिक विकास का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है । व्यापारिक और औधोगिक क्षेत्र में तीव्रगति से परिवर्तन होने लगा है जिसके कारण उद्यमिता का महत्वा भी बढ़ता जा रहा है। महिलाएं पारिवारिक , सामाजिक और शैक्षिक के साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी कामयाब हो रही हैं। वह स्वयं घर से भी अपने कौशलों का उपयोग करके धनोपार्जन करके परिवार चला सकती हैं। महिलाएं अपने आस–पास की महिलाओं को संगठित कर नए रोजगार का सृजन कर सकती हैं। महिला उद्यमियों के समुचित प्रशिक्षण और प्रशासन द्वारा परिवारों का आर्थिक उन्नयन हो सकता है। इसलिए बैंको द्वारा महिलाओं कों आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएँ चला जा है। महिला उद्यमियों के लिए स्त्री शक्ति योजना ,मुद्रा योजना जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से व्यावसायिक बैंक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं । इस अध्ययन का उदेश्य महिला उद्यमियों के विकास में बैंकों द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं का अध्ययन करना है । देश के संतुलित एवं सतत विकास के लिए महिला उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। महिलाओं का आर्थिक रूप से निर्भर होना न केवल परिवार एवं समाज बल्कि अंत में देश को मज़बूत बनाता है।

**मूल शब्द** : महिला उद्यमिता ,बैंकिंग योजनाएँ , समस्याएँ ।

**परिचय-** आज की बदलती हुई परिस्थितियों में जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए न सिर्फ पुरूष ही प्रत्यनशील है, बल्कि नारी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाओं को योगदान केवल घर पर ही नहीं बल्कि कृषि, पशुपालन,व्यवसाय ,शिक्षा ,लघु उद्योग आदि में भी सराहनीय है ।महिला उद्यमिता को किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है ।महिला उद्यमी न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाती हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ाती है। आज होटल, फैशन डिजाइन, ऑटोमोबाइल, टूर एंड ट्रेवल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कृषि एवं कुटीर उद्योग आदि क्षेत्रों में निरंतर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति से देश में महत्वपूर्ण व्यापार और आर्थिक विकास हुआ है ।महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय एवं उद्यम देश में रोजगार के अवसर पैदा करके, जनसांख्यिकीय बदलाव लाकर देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

**महिला उद्यमिता की सामान्य विशेषताएं-** कम आय वाली एवं छोटी सुविधाओं वाली महिलाओं के उद्यमी बनने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में कम या बिना शिक्षा और प्रशिक्षण वाली बड़ी संख्या में महिलाएं व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करती

**Copyright: ©** the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में अधिकतर महिला उद्यमी शिक्षित एवं प्रशिक्षित होती हैं । कई महिलाएं आर्थिक आवश्यकता के कारण उद्यमी बन जाती हैं।महिलाओं की ईमानदारी और कड़ी मेहनत स्थिरता और विकास का कारण है। महिला उद्यमी विकास उन्मुख न होकर सुरक्षा उन्मुख होता है। ज्यादातर महिलाएं स्थिर आय और कम जोखिम पसंद करती हैं। महिलाओं के व्यावसायिक उद्यमों में कार्यशील पूंजी की कमी होती है, इससे कम लाभ मार्जिन होता है।

यद्यपि सन 1954 से महिला विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुए। किंतु सन् 1975 में 'अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। सन् 1991 में महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में महिला उद्यमियों का प्रोत्साहन और प्रशिक्षण देने का कार्य तेजी से बढ़ा। देश की पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' पर विशेष बल दिया गया। वर्ष 2001 के 'राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष' में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हेतु महिला विकास की अनेक योजनाएं जारी की गईं। वर्तमान सरकार द्वारा विशिष्ट महिला उद्यमी योजनाओं के कारण भारतीय सामाजिक संरचना में महिला उद्यमियों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन होने के साथ ही, निरंतर विकास हो रहा है।।हमारे देश में पुरुष क्षेत्र के सर्वाधिकार वाले उद्योग–व्यापार में भी कई महिला उद्यमियों जैसे– इंदिरा नुई, इंदु जैन, किरण मजूमदार, चंदा कोचर, नीलम धवन, ज्योति नायक, और रितु कुमार आदि ने नाम कमाया है ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में में ऐसे कई क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं जो रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे सिंचाई परियोजना ,सड़क एवं बांध निर्माण ,पेयजल, आवास व्यवस्था ,विद्युत परियोजनाएं ,स्वास्थ्य, शिक्षा, लघु उद्योग ,संचार क्रांति , वित्तीय संस्थाओं का गांव में प्रवेश ,बढ़ते शहरीकरण आदि विकास मुल्क परियोजनाएं रोजगार के अवसर में तेज गति से वृद्धि की है। जिससे आज ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ है एवं कृषि से जुड़े अन्य उद्योग भी लाभान्वित हो रहे हैं ।भारत के गांव तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास इस गति को और तीव्र कर रहे हैं ।

**उद्देश्य -**

1. महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न बैंकिंग योजनाएँ का अध्ययन करना ।
2. उद्यमी महिलाओं के समस्याओं का अध्ययन करना ।
3. वर्तमान अध्ययन के आधार पर सुझाव प्रदान करना ।

**शोध का आवश्यकता एवं महत्व -** इस अध्ययन से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि बैंकों का महिला उद्यमिता विकास में क्या योगदान है । महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

**शोध प्राविधि -** प्रस्तुत अध्यनन पूर्ण रूप से वर्णात्मक प्रकृति का है एवं द्वितीय समंको पर आधारित है ।

**परिकल्पना-** बैंकों द्वारा महिला उद्यमिता के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाया गया है ।

**महिला उद्यमिता विकास के लिए बैंकों द्वारा किया गया पहल-** देश में अब कारोबार करना केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं रह गया है। महिला उद्यमियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।महिलाओं को बिजनेस के क्षेत्र में सशक्त बनाने में विभिन्न योजनाओं ऋण का भी योगदान है। बैंक द्वारा वर्तमान महिला उद्यमिता को गति एवं दिशा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करने के साथ ही महिला उद्यमियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है। जिनका विवरण इस प्रकार है–

**स्टेट बैंक ऑफ मैसूर-**

**1. अन्नपूर्णा योजना--** खाद्य उद्योग में कार्य करने को इच्छुक महिलाओं को ' 50 हजार तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसका भुगतान महिलाएं अगले 36 माह में आसान किस्तों द्वारा कर सकती हैं। 'अन्नपूर्णा योजना' में भोजन के व्यापार आदि हेतु रसोई के बर्तन व अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

**2. स्त्री शक्ति योजना –** स्टेट बैंक ऑफ मैसूर' द्वारा महिला उद्यमियों के लिए 50 लाख तक का ऋण कम व्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है । यह राशी उन महिलाओं को दिया जाता है जो उद्यमिता विकास कार्यकम के तहत प्रशिक्षण लिया हो ।

**भारतीय स्टेट बैंक**

**1.स्त्री शक्ति योजना उद्योग--**जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी एवं मालिकाना हक हो, तो ऐसे उद्योगों को भारतीय स्टेट बैंक' (एसबीआई) द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसमें 2 लाख से अधिक ऋण पर ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

**देना बैंक**

**1. देना शक्ति योजना -** जो महिला उद्यमी कृषि, विनिर्माण क्षेत्र, खुदरा व्यापार ,शिक्षा, सेवा क्षेत्र या अन्य छोटे–छोटे उद्यमों द्वारा व्यापार करना चाहती हैं ऐसी महिला उद्यमियों को देना बैंक द्वारा 50 हजार से 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

**पंजाब एंड सिंध बैंक**

**1. उद्योगिनी स्कीम ---** पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा आसान किस्तों और रियायती ब्याज दर पर 18 से 45 साल तक की महिला उद्यमियों को अधिकतम 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पारिवारिक आय की स्थिति अनुसार अनुसूचित जनजाति/ जनजाति की महिलाओं को 45 हजार तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

**1. सेंट कल्याणी स्कीम -** अपने उद्यम के विस्तारीकरण या पुनरुत्थान हेतु महिला उद्यमियों को 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया' द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन महिला उद्यमियों को बैंक द्वारा उपलब्ध ऋण हेतु कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं देना पड़ता। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, स्वरोजगार में संलग्न महिलाओं, कृषि एवं संबद्ध कार्यों, खुदरा व्यापार हेतु महिला उद्यमियों को बिना किसी सुरक्षा गारंटी के उद्योग लगाने हेतु बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

**पंजाब नेशनल बैंक -** पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 5 विभिन्न योजनाएँ अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रख कर प्रदान कर रही है –

**1. महिला उद्यम निधि स्कीम---** इस योजना में महिला उद्यमियों को 10 वर्ष हेतु रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, ताकि महिलाएं ब्यूटी पार्लर खोलने, साइबर कैफे खोलने ,ऑटो रिक्शा खरीदने, दुपहिया वाहन खरीद सकें। यह ऋण राशि 10 लाख तक की हो सकती है।

**2. पीएनबी महिला उद्यम निधि योजना** –इस योजना का उद्देश्य समानता में अंतर के अन्तराल को भरना ।छोटे –मोटे नया उद्योग खोलना अथवा वर्तमान उद्योग को विस्तार देने के लिए मदद करती है ।

**3. शिशु सदन के लिए वित्त-** इस योजना का उद्देश्य वैसे महिलाओं की मदद करना जो शिशु सदन खोलना चाहती हैं । इस वित्त राशी का उपयोग आवश्यक सामग्री की खरीद या चालू खर्च पूरा करने के लिया किया जा सकता है।

**4. पीएनबी महिला सशक्तिकरण अभियान** – इस स्कीम के तहत उन महिला उद्यमियों को ऋण दिया जाता है जो गैर कृषि क्षेत्र में लघु एवं सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहते हैं ।इसमें बैंक द्वारा फ़ीस माफी के साथ कम व्याज दर ऋण पर दिया जाता है ।

**5. पीएनबी कल्याणी कार्ड स्कीम** – इस योजना में उन सभी महिलाओं को ऋण दिया जाता है जो कृषि क्षेत्र या गैर कृषि क्षेत्र में संलगन हैं ।.

**ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स- ओरियंट महिला विकास योजना**– महिला उद्यमियों को सहायता पहुंचाने हेतु ऋण दिया जाता है। किसी उद्यम में यदि 51 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी हो, तो वह ऋण हेतु आवेदन कर सकती हैं। लघु उद्योग हेतु 10 से 25 लाख तक का ऋण 7 वर्षों के लिए मिलता है तथा इस पर 2% ब्याज की छूट का प्रावधान है।

**सिंडिकेट बैंक- सिंडिकेट बैंक महिला शक्ति योजना--** सिंडिकेट बैंक भी 10 वर्षों हेतु महिला उद्यमी को ऋण देता है। हालांकि यह बैंक भी किसी उद्यम में 50 प्रतिशत से अधिक मालिकाना हक वाले उद्यमी को ही ऋण देता है। महिला उद्यमियों को प्रगतिशील बनाने, उन्हें समर्थन देने हेतु, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

**कर्नाटक बैंक- KBL महिला उद्योग ऋण-** किसी भी बिज़नेस या स्टार्टअप के लिए प्रदान किया जा सकता है जिससे आय प्राप्त होती है। यह ऋण विशेष रूप से महिलाओं को दिया जाता है और इस पर अधिकतम 10 लाख रु. तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है, जिसका भुगतान अधिकतम 10 साल तक कर सकती हैं। महिला उद्योग लोन उन महिला उद्यमियों को दिया जाता है, जहां किसी फर्म या कंपनी में शेयरहोल्डिंग और स्टेक कंट्रोल करने में उनकी न्यूनतम 51% हिस्सेदारी होती है।

**भारतीय महिला बैंक** - महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने साल 2013 में 'भारतीय महिला बैंक' का गठन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 19 नवंबर 2013 को 1,000 करोड़ रुपए पूंजी आवंटित कर बैंक का उद्घाटन किया था। उषा अनंत सुब्रमण्यम भारतीय महिला बैंक की पहली और आखिरी प्रबंध निदेशक बनीं। बैंक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की बैंकिंग आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना और उनके विकास के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया और उनके द्वारा ही संचालित इस बैंक में पुरुषों द्वारा राशि जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। बैंक का उद्देश्य उद्यमशीलता कौशल वाले लोगों को प्रेरित करना, गैर-सरकारी संगठनो के साथ मिलकर महिलाओं को छोटे-मोटे व्यवसायों में प्रशिक्षित करना और महिलाओं के बीच संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा देना था।

भारतीय महिला बैंक द्वारा महिला उद्यमियों के लिए दो तरह के बिजनेस ऋण की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत श्रृंगार और अन्नपूर्णा ऋण की सुविधा शामिल है ।भारतीय महिला बैंक, जो हाल ही में एसबीआई में विलय हुआ है ।

**1) श्रृंगार ऋण –** बिजनेस ऋण के तहत श्नृंगार ऋण उन महिलाओं को प्रदान किया जाता है जो अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं। जिसके तहत ऋण राशि का भुगतान अधिकतम 7 वर्ष के भीतर किया जा सकता है।

**2) अन्नपूर्णा ऋण –** वहीं अन्नपूर्णा ऋण उन महिलाओं को दिया जाता है तो लंच बेचने या अपने फ़ूड केटरिंग के बिजनेस की शुरुआत करना चाहती हैं। इस ऋण का भुगतान तीन वर्षों के भीतर किया जा सकता है।

**मुद्रा योजना-** मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। योजना के तहत व्यक्तियों, स्टार्टअप, बिजनेस मालिकों को ऋण दिया जाता है. महिला उद्यमी भी इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। ऋण की राशि की मात्रा के आधार पर मुद्रा योजना को तीन

भाग में बांटा गया गया है. शिशु: रु. 50,000 तक की ऋण राशि , किशोर: रु. 50,000 से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक की ऋण राशि ,तरुण: रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि महिला उद्यमियों को मुद्रा लोन के ब्याज पर छूट का प्रावधान है ।स्कीम के तहत मिलने वाला ऋण प्रतिभूति मुक्त होता है। यानी कोई सिक्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, सिलाई केंद्र तथा ट्यूशन सेंटर आदि को खोलने के लिए 50 हजार से 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत 70 फ़ीसदी लोन महिलाओं को दिया गया है। मुद्रा योजना ने महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। इसके तहत महिलाओं ने ऋण लेकर अपना रोजगार प्रारंभ किया और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए।

**सिडबी-** सिडबी महिला उद्यमी प्रतिभागियों के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण और आंशिक क्रेडिट गारंटी के रूप में समर्थन का एक पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध करता है ।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावे बैंक द्वारा पूरे देश में अनेक छोटे मोटे योजनाएँ महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए प्रदान की जा रही है ।

**महिला उद्यमियों के लिए समस्याएँ-** महिला उद्यमियों को कारोबार में अनेक समस्याएँ आती है। महिला उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

**1. वित्तीय बाधाएं-** उद्यमियों दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के फंड की जरूरत होती है। वित्तीय संस्थानों से ऋण और अग्रिम प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रतिभूतियां बैंकों में जमा करना होता है। लेकिन आमतौर पर महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बैंक कर्ज देने मना कर देते हैं । तब महिला उद्यमी को अपनी बचत और अनोपचारिक स्रोतों से ऋण पर निर्भर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता हैं। फंड की मात्रा कम होने एवं महँगे होने से महिला उद्यम विफल होने की संभावना बढ़ जाती है ।

**2. महिला उद्यमियों पर कम विश्वास-** महिलों द्वारा चलाये जाने वाले व्यावसाय लघु एवं सुक्ष्म प्रकार के होते है। बड़े उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्ष्म नहीं होने के कारण व्यावसायिक बैंक कम विश्वास करते हैं । यहाँ तक की महिला बैंक भी महिलाओं को कम क्रेडिट योग्य मानते हैं । महिला उधारकर्ताओं पर व्यावसायिक बैंक कम विश्वास होने का दूसरा वजह यह भी है कि उन्हें लगता है वे किसी भी समय अपना व्यवसाय छोड़ सकती हैं।

**3. बिचौलियों पर अधिक निर्भरता-** महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बिचौलिए अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं। महिला उद्यमियों के लिए बिचौलियों को खत्म करना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश और बहुत अधिक यात्रा की आवश्यकता होती है। महिला उद्यमियों को बाजार पर कब्जा करने और अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में मुश्किल होती है।

**4. कड़ी प्रतिस्पर्धा-** महिला उद्यमियों को संगठित उद्योगों और पुरुष उद्यमियों के उत्पादों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। प्रचार और विज्ञापन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए उनके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है।समाज की यह भावना है कि महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद गुणवत्ता में निम्न हैं क्योंकि वे स्वयं महिलाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इन कारकों से महिला उद्यमों का परिसमापन होगा।

**5. उत्पादन की उच्च लागत-** महिला उद्यमियों के सामने एक अन्य समस्या उत्पादन की उच्च लागत है। सरकारी अनुदान और सब्सिडी उन्हें इस कठिनाई से निपटने में मदद करती है, लेकिन ये अनुदान और सब्सिडी इसकी स्थापना के शुरुआती चरणों में ही उपलब्ध हैं।विस्तार और विविधीकरण गतिविधियों के लिए ये सहायता नगण्य होगी।

**6 सीमित गतिशीलता-** पुरुषों के विपरीत, भारत में महिलाओं की गतिशीलता विभिन्न कारणों से अत्यधिक सीमित है। शारीरिक रूप से वे बहुत अधिक यात्रा करने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं हैं। स्वतंत्र रूप से और अकेले उद्यम चलाने वाली महिला को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।महिलाओं के प्रति अधिकारियों का अपमानजनक रवैया उन्हें उद्यम शुरू करने के विचार को छोड़ने के लिए मजबूर करता है।

**7. शिक्षा का अभाव-** भारत में लगभग 60% महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं। अशिक्षा सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं व्यापार तकनीक और बाजार से अनभिज्ञ हैं। यह महिलाओं के बीच उपलब्धि प्रेरणा को भी कम करता है। इस प्रकार, शिक्षा की कमी महिलाओं के लिए व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने और चलाने में समस्याएँ पैदा करती है।

**8. सामाजिक दृष्टिकोण-** यह महिला उद्यमिता के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। महिलाओं में क्षमता होती है लेकिन व्यवहार में महिलाओं को 'अबला' माना जाता है। कठोर पुरुष प्रधान सामाजिक दृष्टिकोण उन्हें सफल और स्वतंत्र उद्यमी बनने से रोकते हैं।

**महिला उद्यमियों की समस्याओं का समाधान-** उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि महिला उद्यमियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं–

**1. अलग वित्त प्रभाग-** महिला उद्यमियों को आसान और तैयार वित्त प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा अलग–अलग वित्त विभाग खोले जा सकते हैं। इन प्रभागों के माध्यम से वे महिला उद्यमियों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रबंधन में महिलाओं की भागेदारी अधिक हो ।

**2. सहकारी महिला विपणन समितियां-** उत्पादों का विपणन महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वे सहकारी समितियां शुरू कर सकते हैं। ये समितियां महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को एकत्र कर सकती हैं और बिचौलियों को खत्म कर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेच सकती हैं।

**3. शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन-** लोगों को उद्यमिता विकास, विभिन्न उत्पादों, उनकी विपणन सुविधाओं, प्रतिस्पर्धा आदि के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। महिलाओं के प्रति समाज के नकारात्मक रवैये को बदलना चाहिए।

**4. प्रशिक्षण-** उचित प्रशिक्षण देकर हम किसी व्यक्ति की प्रतिभा को विकसित कर उसे उद्यमी बना सकते हैं। इसके लिए सरकारी एजेंसियां और वित्तीय संस्थान महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग–अलग डिवीजन स्थापित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण योजना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि महिलाएं प्रशिक्षण सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

**5. सरकार से सहायता:-** केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नए उद्यम शुरू करने के लिए महिला उद्यमियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकारों को उन्हें ढांचागत सुविधाएं, कच्चा माल, कर छूट और रियायतें देनी चाहिए। सरकार महिला उद्यमियों को विशेष अनुदान और सब्सिडी भी दे सकती है। इसके लिए उन्हें अपने परिवार के सदस्यों, सरकार और समाज के बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और समर्थन की जरूरत है।

**निष्कर्ष -** महिलाओं के विकास के किये बैंकों द्वारा अनेकों योजनाएँ चलायी जा रही है जिसका उचित उपयोग कर अर्थव्यवस्थामें महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं ।इन योजनाएँ से महिलाओं में उद्यमिता विकास कर उनके सर्वांगीन विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है । समय समय पर इन योजनाओं का समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उचित समाधान हो सके और उनका लाभ महिलाओं को मिल सके ।

**सन्दर्भ ग्रन्थ –**

1. भारतीय अर्थव्यवस्था– रुद्रदत्त एवं सुन्दरम
2. https/www.informise.com
3. https/www.sbi.co.in
4. https/www.pnbindia.in
5. प्रतियोगिता दर्पण